



राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान

(खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान)

National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management

(An Institute of National Importance under Ministry of Food Processing Industries, Government of India)

फाइल नं. FST-209011/9/2026-C2FST-209011/9/2026-C2

दिनांक: 03.02.2026

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER

महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2026 को जारी निर्देशों के अनुसरण में, यह संस्थान में महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के प्रभावी निवारण हेतु आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee – ICC) का गठन किया जाना आवश्यक है।

अतः, इस विषय पर पूर्व में जारी सभी कार्यालय आदेशों के अधिक्रमण (in supersession) में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित संरचना के साथ Internal Complaints Committee (ICC) का गठन/पुनर्गठन किया जाता है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी:

क्रम संख्या	अधिकारी/सदस्य का नाम	समिति में दायित्व
1.	डॉ. कोमल चौहान, प्रोफेसर, FST	पीठासीन अधिकारी / Presiding Officer (Chairperson)
2.	डॉ. अनुपमा पंघाल, एसोसिएट प्रोफेसर, FBM	सदस्य
3.	डॉ. त्रिषी अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, AES	सदस्य
4.	डॉ. नीरज, प्रोफेसर, AES	सदस्य
5.	सुश्री मनींदर सचदेव, बाह्य सदस्य (External Member), (NGO / सामाजिक क्षेत्र – महिला कल्याण)	सदस्य
6.	सहायक कुलसचिव (कार्मिक)	Presenting Officer

उक्त समिति का गठन Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है, जिसमें महिला सदस्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व एवं निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु बाह्य सदस्य को सम्मिलित किया गया है। यह समिति अधिनियम, 2013 एवं समय-समय पर जारी

दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने कार्यों का निर्वहन करेगी।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

Digitally signed by

GAURAV GAUTAM

Date: 03-02-2026

10:39:00

सहायक कुलसचिव (कार्मिक)

प्रतिलिपि:

1. निदेशक महोदय के निजी सहायक — सूचना हेतु
2. कुलसचिव के निजी सहायक — सूचना हेतु
3. उप नियंत्रक, वित्त एवं लेखा प्रभाग
4. संबंधित सभी सदस्य — आवश्यक कार्यवाही हेतु
5. सहायक कुलसचिव (सूचना प्रौद्योगिकी) – NIFTEM-K की वेबसाइट पर अपलोड हेतु
6. संबंधित फाइल